

20.3.25

वकील जर्गी उपस्थित। वकील जर्गी द्वारा डिप्टी
कमिश्नर राजस्थान रिजर्व में अंश देना बताया। प्रार्थना -
पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने का प्रार्थना -
पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर दे कर होना
द्वारा प्रमाणित है।

आदेश ले इजलाह के माध्यम से


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



Jms

Gcms
2025/18